संख्या: 945 / XV-1/17/1(4)/2016

प्रेषक,

आर०मीनाक्षी सुन्दरम,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पशुपालन विभाग,
उत्तराखण्ड देहरादून।

पशुपालन अनुभाग–1 देहरादून : दिनांक 19 जुलाई, 2017

विषयः चालू वित्तीय वर्ष 2017–18 में राज्य सैक्टर के अन्तर्गत चालू योजनाओं (अनुदान सं० 30 एवं 31) में धनराशि अवमुक्त करने विषयक।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या–427/XV-1/17/1(4)16 दिनांक 19 अप्रैल, 2017 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके माध्यम से राजस्व पक्ष की योजना यथा–पशुचिकित्सालय/पशु सेवा केन्द्रों की स्थापना योजना अनुदान संख्या–30 एवं 31 हेतु लेखानुदान 2017–18 में प्रावधानित कुल ₹1719 हजार (सत्रह लाख उन्नीस हजार मात्र) की धनराशि अवमुक्त की गयी थी। चालू वित्तीय वर्ष 2017–18 हेतु सुसंगत मदों में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष अवशेष प्रावधानित धनराशि अवमुक्त किये जाने विषयक आपके कार्यालय के पत्र संख्या–1529/नि–5//एक(38)/आय–व्ययक 2017–18 दिनांक 17 जून, 2017 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2017–18 में राजस्व लेखा पक्ष की उक्तांकित योजना हेतु आय–व्ययक में प्रावधानित धनराशि ₹ 3639 हजार (छत्तीस लाख उनचालीस हजार मात्र) के सापेक्ष लेखानुदान के माध्यम से अवमुक्त धनराशि के अतिरिक्त आय–व्ययक में अवशेष प्राविधानति ₹ 1920 (उन्नीस लाख बीस हजार मात्र) की धनराशि व्यय हेतु निम्न विवरणानुसार आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते है:–

अनुदान संख्या–30 (₹ हजार में)		अनुदान संख्या–31 (₹ हजार में)	
लेखाशीर्षक/योजना/मद का नाम		लेखाशीर्षक/योजना/मद का नाम	वर्तमान मांग
2403–पशुपालन आयोजनागत–00–101–पशु चिकित्सा सेवायें तथा पशु स्वास्थ्य–02–अनुसूचित जातियों के लिए स्पेशल कम्पोनेंट प्लान –0207 –पशु चिकित्सालयों पशु सेवा केन्द्रों की स्थापना (राज्य सैक्टर योजना)		2403–पशुपालन आयोजनागत–00–796–जनजातीय क्षेत्र उपयोजना–22–पशु चिकित्सालयों पशु सेवा केन्द्रों की स्थापना (राज्य सैक्टर योजना)	
01–वेतन	791	01–वेतन	617
03–महंगाई भत्ता	47	03–महंगाई भत्ता	36
04–यात्रा व्यय	00	04–यात्रा व्यय	03
05–स्थाना0यात्रा	00	05–स्थाना0यात्रा	00
06–अन्य भत्ते	74	06–अन्य भत्ते	57
08–कार्यालय व्यय	20	08–कार्यालय व्यय	17
09–विद्युत देयक	03	09–विद्युत देयक	03
10–जलकर	00	10–जलकर	00
11–लेखन सामग्री	17	11–लेखन सामग्री	13
12–कार्यालय फर्नीचर	53	12–कार्यालय फर्नीचर	27
16–व्यावसायिक सेवाशुल्क	00	16–व्यावसायिक सेवाशुल्क	00

17–किराया उपशुल्क कर	03	17–किराया उपशुल्क कर	00
26–मशीन साज सज्जा	05	26–मशीन साज सज्जा	03
27–चिकित्सा व्यय पूर्ति	00	27–चिकित्सा व्यय प्रति0	00
31–सामग्री सम्पूर्ति	25	31–सामग्री सम्पूर्ति	00
39–औषधि तथा रसायन	67	39–औषधि तथा रसायन	23
42–अन्य व्यय	11	42–अन्य व्यय	05
योग–	1116		804

(1) धनराशि का व्यय किये जाने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा आहरण वितरण अधिकारी धनराशि की फांट कर उसकी प्रति शासन को भी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगें।

(2) बजट मैनुअल में निर्धारित प्रकिया के अधीन कोषागार द्वारा प्रमाणित वाउचर संख्या एवं दिनांक के आधार पर अंकित बजट की सीमा में प्रतिमाह 5 तारीख तक प्रपत्र बी०एम०–8 पर विभागाध्यक्ष द्वारा सूचना वित्त विभाग को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायी जाय।

(3) अवमुक्त की जा रही धनराशि का आवश्यकतानुसार मासिक रूप से आहरण किया जाय एवं अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में अधिकृत धनराशि से अधिक किसी दशा में व्यय नहीं की जायेगी और न अधिक व्ययभार सृजित किया जायेगा।

(4) यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि मजदूरी तथा व्यावसायिक सेवाओं के लिए भुगतान मदों के अन्तर्गत आउटसोर्सिंग से कार्मिकों की संख्या संबंधित इकाई में समकक्ष स्तर से स्वीकृत परन्तु रिक्त पदों की अधिकतम सीमान्तर्गत अथवा शासन की पूर्व सहमति से स्वीकृत सीमा, इनमें से जो भी कम हो, के अन्तर्गत ही रहेगी।

(5) वर्ष के प्रारम्भ में ही प्रत्येक मद के संबंध में मितव्ययता हेतु स्पष्ट योजना बना ली जाये और तद्नुसार प्रत्येक मद के संबंध में प्रावधानित आवंटित धनराशि के सापेक्ष बचत का लक्ष्य पूर्व में ही निर्धारित कर बचत सुनिश्चित की जाये। इस हेतु उदाहरणार्थ फर्नीचर, साज–सज्जा, उपकरण क्रय, विद्युत प्रभार, स्टेशनरी/कम्प्यूटर स्टेशनरी, पैट्रोल/डीजल,कार्यालय व्यय आदि विभिन्न मदों में आसानी से बचत की योजना बनायी एवं क्रियान्वित की जाय।

(6) बजट नियंत्रक अधिकारी/विभागाध्यक्ष द्वारा बी०एम०–10 प्रारूप में बजट नियंत्रक पंजी में उनके स्तर पर उपलब्ध बजट तथा उनके स्तर से अधीनस्थ अधिकारियों को आवंटित बजट का विवरण रखा जायेगा। इस संबंध में सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/बजट नियंत्रक अधिकारी जिसके नमूना हस्ताक्षर समस्त कोषागार में परिचालित हों, के हस्ताक्षर से अनुदान के अधीन धनराशियां जारी की जाय,अन्यथा कोषागार द्वारा भुगतान नहीं किया जायेगा, जिसके लिए सम्बन्धित अधिकारी उत्तरदायी होगें।

(7) प्रशासनिक/बजट नियंत्रण प्राधिकारियों द्वारा राजस्व एवं पूंजीगत पक्ष में बजट प्राविधान,अवमुक्त धनराशि तथा व्यय धनराशि का नियमित लेखा जोखा रखा जाय एवं मासिक आधार पर इसका महालेखाकार,उत्तराखण्ड के स्तर पर मिलान करते हुए मिलान का प्रमाणित विवरण वित्त अनुभाग–1 तथा बजट निदेशालय को प्रेषित किया जाय।

(8) स्वीकृत/आवंटित की जा रही धनराशि के संबंध में किसी भी प्रकार की अनियमितता/दुरूपयोग पाये जाने पर विभागाध्यक्ष एवं संबंधित आहरण वितरण अधिकारी उत्तरदायी होगें।

2. उक्त धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017–18 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–30 एवं 31 के अन्तर्गत उपरोक्त लेखाशीर्षकों के सुसंगत मानक मदों के अन्तर्गत वहन किया जायेगा।

3. यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–610/3(150)XXVII(1)/2017 दिनांक 30 जून, 2017 में दिये गये दिशा–निर्देशों के क्रम में जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(आर०मीनाक्षी सुन्दरम)
सचिव

संख्याः 945 (1)/ XV-1/ 2017 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड।
2. आयुक्त, गढ़वाल एवं कुमायूँ मण्डल, उत्तराखण्ड।
3. समस्त जिलाधिकारी/कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. समस्त मुख्य पशुचिकित्साधिकारी/परियोजना निदेशक, पशुलोक, उत्तराखण्ड।
5. अपर निदेशक,, पशुपालन विभाग, गढ़वाल/कुमाऊँ मण्डल, उत्तराखण्ड।
6. निदेशक, एन०आई०सी०, सचिवालय देहरादून।
7. मीडिया सेन्टर, उत्तराखण्ड सचिवालय।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(मायावती ढकरियाल)
संयुक्त सचिव